कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

पत्र क्रमांक/ /सम्पदा शाखा/2023 कोरबा, दिनांक 15/6/2023

–:: विज्ञापन ::–

कार्यालय अवर सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग का पत्र क्र. 2940/1480/2023/18 दिनांक 02.05.2023 के अनुपालन में न.पा.नि. कोरबा जिला–कोरबा में अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना किया जाना है। उक्त इण्डस्ट्रीज पार्क में युवाओं के स्व–रोजगार/स्टार्टअप गतिविधियों के लिए नंदीस्वान 15–ब्लॉक पम्प हाउस, टी.पी. नगर कोरबा में रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क विकसीत किया जा रहा है। जहां पर 10000 Sqft आकार के चार भूखंड, 5000 sqft आकार के चार भूखण्ड एवं 3000 sqft आकार के दो भूखंड उपलब्ध है। उक्त भूखंडों में छोटे लघु कुटीर उद्योग एवं सेवा सर्विस उद्योग स्थापना, संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। इच्छुक उद्यमी दिनांक 06.07.2023 सांय 05 बजे तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से साकेत भवन, नगर पालिक निगम, कोरबा के सम्पदा शाखा में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नियम एवं शर्तें :–

1- उद्यमी जिले / शहर का निवासी होना अनिवार्य है।

2- लगाये जाने वाला उद्यम कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग आदि संचालन से ही संबंधित होना चाहिए, मादक एवं नशीली पदार्थो का उत्पादन, भण्डारण संबंधित उद्यम पूर्णतः वर्जित होगा।

3- इच्छुक उद्यमी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे :–

- आवेदक द्वारा आवेदन के साथ नोटरी प्रमाणित दस्तावेज, डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर बंद लिफाफे में नाम, पता, मोबाईल नंबर अंकित कर उद्यम का प्रकार भी लिखकर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे।

4- उद्यमों हेतु शेड नगर पालिक निगम, कोरबा के माध्यम से पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल का निर्मित कर प्रदान किये जायेंगे जिनमे यूजर चार्ज आधारित कार्य स्थल (वर्क स्पेस) प्रदान किया जावेगा।

5- यूजर चार्ज आधारित वर्क स्पेस प्राथमिक रूप से निगम द्वारा तैयार कर प्रदान किया जावेगा। आगामी वर्क स्पेस हेतु अतिरिक्त निर्माण, संधारण, रंग रोगन, विद्युत देयक एवं विद्युत मीटर संयोजन से संबंधित समस्त कार्य हितग्राही की स्वयं की होगी।

6- गौठानों एवं संबंधित क्षेत्रों में स्थानित आवश्यकता और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विविध उद्यम स्थापित किए जाने है।

7- वर्क स्पेस उपलब्धता दिनांक से 01 माह के अंदर ईकाई स्थापना का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा तथा अधिकतम 03 माह में स्थापना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में ईकाई स्थापना न करने पर स्थल उपलब्धता निरस्त कर अन्य इच्छुक आवेदकों को वरियता सूची के आधार पर वर्क स्पेस उपलब्ध कराई जायेगी।

8- इच्छुक उद्यमियों को राशि रू. 5000.00 का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.) के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमांड ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।

9- वर्क स्पेस में उद्यम संचालन अवधि 5 वर्ष के लिए होगी कार्य संतोषपद्र रूप से संचालित होने पर आगामी 3 वर्षो के लिए अतिरिक्त अवधि नियम एवं शर्तो के अंतर्गत बढ़ायी जा सकेगी।

क्रमशः ....02....

स्थल को केवल उद्यम संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से नियमानुसार प्रदान किया जायेगा। स्थल का मालिकाना हक प्रदान नही किया जायेगा।

चयन प्रक्रियाः–

- प्राप्त आवेदनों का समिति द्वारा मुल्यांकन के आधार पर वरियता सूची तैयार की जायेगी। जिसके आधार पर उद्यम निर्माण हेतु स्थल आबंटित किये जायेंगे।

- इच्छुक उद्यमियों का अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (अधिकतम पूंजी के लिए 20 अंक) पूंजी वर्गीकरण :–

लागत (लाख)	अंक
0 से 5	05 अंक
5 से 10	10 अंक
10 से 20	15 अंक
20 लाख से अधिक	20 अंक

- इच्छुक उद्यमितयों को अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (संभावित कर्मचारी नियुक्त होने पर 30 अंक)

कर्मचारी वर्गीकरण :–

कर्मचारी संख्या	अंक
0 से 10	10 अंक
11 से 20	20 अंक
20 से अधिक	30 अंक

- कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन के आधार पर 20 अंक (वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी पारिश्रमिक से कम न हो)
- प्रस्तुतीकरण (Presentation) पर 20 अंक।
- नया Startup उद्यम अकांक्षा/उद्यम एवं जी.एस.टी. पंजीकृत (Udyam Aakanksha, GST Registration) होने पर 10 अंक इस तरह कुल 100 अंकों पर मुल्यांकन किया जावेगा।
- उद्यम स्थापित करने के इच्छुक स्थानीय युवाओं, उद्यमियों, स्व सहायता समूहों को गुण दोष के आधार पर निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा चिन्हाकिंत किया जावेगा।
- एक उद्यमी एक ही भूखण्ड के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, एक से अधिक भूखण्ड पर आवेदन मान्य नहीं होगा (एक उद्यमी के परिवार से अन्य व्यक्ति आवेदन करने हेतु मान्य नहीं होंगे)।
- किसी भी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ0ग0)

स्व प्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

1. आवेदित उद्यम का प्रकार ....

2. (क) आवेदक का पूरा नाम/एजेंसी का नाम एवं पंजीयन क्र. ....
....
(ख) अभिभावक/एजेंसी अध्यक्ष का नाम ....
(ग) वर्तमान डाक का पता ....
(जिस पर पत्र व्यवहार किया जावेगा) ....
(घ) स्थायी डाक का पता ....
(ड) मोबाइन नंबर ....ई–मेल आई.डी..
3. New Startup उद्यम/उद्यम अकांक्षा का पंजीयन कमांक ....
4. GST नंबर ....आधार नं. ....
5. डी.डी. का कमांक .... राशि .... बैंक का नाम शाखा सहित ....
6. इच्छुक उद्यम हेतु लगाए जाने वाली अधिकतम पूंजी ....
(आवश्यक दस्तावेज विवरण कोटेशन रूप में संलग्न कर सकते है)
7. इच्छुक भूखण्ड का आकार ....
8. इच्छुक उद्यम हेतु अधिकतम कर्मचारी नियुक्ति संख्या ....
(आवश्यक दस्तावेज विवरण कोटेशन रूप में संलग्न कर सकते है)
9. कर्मचारी को दिए जाने वाले मासिक वेतन ....
(वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी पारिश्रमिक से कम ना हो)
10. अन्य दस्तावेजों को संलग्न करें :–

- ☐ शैक्षणिक योग्यता
- ☐ आधार कार्ड
- ☐ स्थायी निवासी
- ☐ उद्यम/उद्यम अकांक्षा
- ☐ राशन कार्ड (अनिवार्य नहीं)
- ☐ जी.एस.टी. एवं पेन कार्ड
- ☐ प्रोजेक्ट रिपोर्ट

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापन में जारी पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ सत्य और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा। जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा तथा समिति द्वारा दिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थल ....
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....